नव-संसद विहार आवास समिति का पंजीकरण

1182. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव-संसद विहार नामक किसी आवास समिति का पंजीकरण किया गया है;

(ख) क्या इसके लिए भूमि आवंटित की गयी है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस आवास समिति के पदाधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस समिति में कितने व्यक्तियों ने सदस्यता ग्रहण की है और उनमें से वर्तमान संसद सदस्यों, भूतपूर्व संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों की संख्या क्रमशः कितनी-कितनी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) :

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि नव विहार सहकारी सामूहिक आवास समिति पंजीयक, सहकारी समितियां, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 29-11-83 को क्रम सं० 965 (सामूहिक आवास) पर पंजीकृत की गई है। समिति को दिनांक 18-11-93 के पत्र के माध्यम से द्वारका चरण-I में 21,500 वर्ग मीटर भूमि की पेशकश की गई है। पंजीकार, सहकारी समितियां के कार्यालय द्वारा 1992-93 की स्थिति के अनुसार प्रबंध समिति के यथा-प्रस्तुत ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिये)।

(घ) समिति के सदस्यों की अनुमोदित संख्या 300 थी परन्तु, समिति के अनुरोध पर सदस्यता को 270 तक सीमित किया गया है। समिति में 26 सांसद, 63 पूर्व सांसद और 191 अन्य व्यक्ति हैं।

विवरण

1992-93 के अनुसार प्रबंध समिति की सूची

1.	पं० शुद्ध राम, संसार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	अध्यक्ष
2.	श्री पी० के० थुंगन, शहरी विकास राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	श्री अश्वनी कुमार, पूर्व सांसद	सचिव
4.	डा० जी० विजय मोहन रेड्डी, पूर्व सांसद	कोषाध्यक्ष
5.	श्री सी० एल० खन्ना	संयुक्त सचिव
6.	श्रीमती मीरा कौल, शहरी विकास मंत्री	सदस्य
7.	श्री एम० एस० गुरुपद स्वामी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री	सदस्य
8.	श्री बी. कलिता, सांसद	सदस्य
9.	श्री लेता उम्बरे, सांसद	सदस्य
10.	श्री वांगफा लीवांग, मंत्री (अरूणाचल)	सदस्य
11.	श्री पी. के. सेठ	सदस्य
12.	श्रीमती सविता सहगल	सदस्य
13.	श्री अशोक सरदाना	सदस्य

Residential accommodation for media persons

1183. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state;

(a) whether Government have ear marked some residential acconmodation exclusively for media persons in Delhi;

(b) if so, the details thereof and guidelines issued in the matter; and

(c) how many persons have occupied the same as on date with details thereof